पत्रिका

इंदौर, गुरुवार
18 सितंबर 2014
आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी, संवत् 2071

लालच में 10 लाख रुपए गए, जेल भी जाना पड़ा

विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित कार्यशाला में आईजी ने दी जानकारी

इंदौर

cityreporter.indore@patrika.com

लालच में दिल्ली के एक व्यापारी को सायबर अपराधियों ने ठगा। जानकारी के अभाव में उसके 10 लाख रुपए भी चले गए और अनजाने में वह आरोपी भी बन गया।

यह उदाहरण आईजी वरुण कपूर ने बुधवार को पोलोग्राउंड स्थित विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में सुनाया। यहां पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) की ओर से सायबर सुरक्षा अभियान संकल्प की कार्यशाला में सायबर क्राइम की जानकारी छात्रों को दी। उन्होंने कहा तकनीक के इस्तेमाल के साथ दुष्परिणाम की जानकारी भी होनी चाहिए। ईमेल और फोन पर लोगों को करोड़ों की लॉटरी का लालच दिया जाता है। लालच में आकर लोग खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। कॉलेज के अकादमी निदेशक डॉ. एसएम अनस इकबाल ने कहा, स्मार्ट फोन पर जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। नारंग ने कहा, जागरुक होने से इंटरनेट पर ठगी करने वालों से बचा जा सकता है। पीआरटीएस अब तक इंदौर और आसपास के शहरों के कॉलेज में सायबर सुरक्षा को लेकर 60 कार्यशालाएं कर चुकी है। संचालन प्रो. नेहा महियाल ने किया।

कॉलेज में छात्रों को सायबर अपराध के बारे में जानकारी देते आईजी वरुण कपूर।

पुलिस पकड़ने आई तब फ्रॉड का पता चला

आईजी ने बताया, एक बार दिल्ली के व्यापारी को 10 करोड़ की लॉटरी खुलने का ईमेल मिला। इसमें व्यापारी से खाता नंबर मांगा गया। व्यापारी ने सोचा, खाता नंबर बताने में खतरा नहीं है। तीन दिन बाद उसके खाते में पांच लाख रुपए आ गए। इसी दिन उसे फोन आया। कहा गया, लॉटरी का पैसा ट्रांसफर करने के पहले 10 प्रतिशत टैक्स की राशि तीन करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। व्यापारी ने रुपए नहीं होने की बात कही, तो 10 लाख रुपए जमा करने को कहा गया। व्यापारी ने पैसा जमा कर दिया। कुछ दिन बाद हैदराबाद पुलिस उसे पकड़ने आई, तो पता चला कि उसके खाते में जो पांच लाख रुपए जमा हुए, तो वो भी फ्रॉड का शिकार हुए व्यक्ति ने जमा कराए थे। 10 लाख रुपए गंवा चुके व्यापारी को भी मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया।

ये जानकारी दी

- आईटी एक्ट की जानकारी हो।
- ईमेल का पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें।
- किसी भी ईमेल को देखकर जवाब दें।
- इंटरनेट लॉटरी के ईमेल का जवाब न दें।
- फोन पर किसी को बैंक संबंधी जानकारी न दें।
- फेसबुक पर फोटो अपलोड सोच-समझकर करें।